न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 40 / 2017

अपीलांट– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

दानाराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी मेराजाणियों की बेरी (बाटाडू) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. चैनाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट
2. सगताराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट
3. वीरमाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट
4. मुकनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी मेराजाणियों की बेरी (बाटाडू) तहसील बायतु जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.01.13 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री नरपतसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री दामोदर चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 01से04 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 5 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 24 / 07 / 2019

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा मौजा मेराजाणियों की बेरी के खसरा नम्बर 1811, 1812 रकबा क्रमशः 00–13, 298–09 बीघा कुल रकबा 299–02 बीघा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 21.01.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.06.2017 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 21.01.2013 राजस्व अभियान के दौरान बिना भौतिक जांच एवं पैमाईश पारित करने मे विधिक भूल की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विभाजन मे नक्शे की तरमीम गलत होने से अपीलाण्ट को अपने हिस्से से भौतिक रूप से दस बीघा कम प्राप्त हो रहा है साथ ही गलत तरमीम के कारण अपीलांट को सेढ़ा पडौसी के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा समूची अपीलाधीन आराजी की पैमाईश कराकर हिस्सानुसार नक्शा तैयार कर लट्ठा ट्रेस मे अंकन किया जावें। मयाद के बिन्दु पर अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट को इस त्रुटि का ज्ञान पड़ौसी खातेदारान द्वारा सेढे पर कब्जे का विवाद पैदा करने व सेढे की मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने व उस पर विभाजन आदेश की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 02.06.2017 को हुआ तथा वास्तविक ज्ञान से अपील अंदर मयाद पेश की है, जो अपील मीमो मे वर्णित आधारों पर स्वीकार फरमाई जावें।

3. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंन्ट्स ने आपसी सहमती से करवाए गये बंटवाड़े के अनुसार वादग्रस्त भूमि की अलग–अलग तरमीम की जा चुकी है जिसका नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकन हो गया है तथा मौके पर पक्षकारान का इसी अनुसार कब्जा काश्त वक्त सैटलमेंट से आपसी सहमति से बाहमी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार है। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान कोई उजर–ऐतराज नहीं किया गया जबकि अपीलांट को विभाजन की प्रारम्भ से ही जानकारी थी। अपीलांट स्वंय द्वारा उक्त विभाजन के पश्चात अपने हिस्से मे आई हुई भूमि की पैमाईश कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2016 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार बायतु द्वारा उसी दिन हल्का पटवारी को भूमि की पैमाईश हेतु आदेश दिया गया। हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार बायतु के आदेश की अनुपालना मे दिनांक 27.07.2016 को मौके पर मौतबिरान के रूबरू पैमाईश कर फर्द मौका तैयार की गई। इस प्रमार अपीलांट का यह कथन गलत हैं कि उसे अपीलाधीन विभाजन आदेश की जानकारी 02.06.2017 को हुई हैं। इस प्रकार अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह किया गया हैं जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्त के विरूद्ध होने से अपीलांट की यह अपील निरस्त योग्य हैं। रेस्पोडेंट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि मयाद के बिन्दु पर अपीलांट की यह अपील खारिज योग्य होने के साथ ही गुणावगुण पर भी

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

बलहीन हैं। पक्षकारान द्वारा अपनी भूमि का विभाजन कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में बाहमी बंटवाड़े के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार किया गया था जिसे अपीलांट ने स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान किए थे तथा स्वयं अपीलाट तहसीलदार के समक्ष पेश हुआ हैं। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु पूर्ण सहमती प्रदान की थी। वर्तमान में अपीलांट के नियत में खोट आने के कारण रेस्पोडेन्ट्स की विकसित की गई भूमि को हड़पने की नियत से मनगढ़त एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत यह अपील पेश की गई है जो मयाद बाहर है तथा विलम्ब का असत्य कारण प्रकट नहीं किया गया है, ऐसे में प्रस्तुत अपील सव्यय खारिज फरमाई जावे।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेखों का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा मेराजाणियों की बेरी (बाटाडू) के खसरा नम्बर 1811 व 1812 कुल रकबा 299–02 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड मे दानाराम वल्द दलाराम 1/3, चैनाराम पुत्र हेमाराम 2/5, सगता, वीरमा, मुकना पि0 पुरखाराम 2/5 कौम जाट साकिन देह के नाम राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। पक्षकारान ने आपसी सहमती से उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन करने हेतु विभाजन प्रस्ताव मय विभाजन नक्शा तहसीलदार बायतु के समक्ष दिनांक 21.01.2013 को प्रस्तुत किया, जिस पर हलका पटवारी बाटाडू की रिपोर्ट का अवलोकन कर एवं पक्षकारान की स्वतंत्र सहमती के आधार पर विभाजन प्रस्ताव आदेश दिनांक 21.01.2013 को स्वीकार किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि का विभाजन पक्षकारान के हिस्सा एवं कब्जानुसार नहीं किया गया जिससे गलत तरमीम के कारण सेढा पडौसियों से विवाद हो गया है व अपीलांट को अपने हिस्से से दस बीघा भूमि कम प्राप्त हो रही हैं। इसके जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान की उपस्थिति एवं उनकी सम्पूर्ण सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, जिसकी जानकारी उसी दिन अपीलांट को हो गई थी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपील के प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब के सम्बन्ध मे गलत तथ्य प्रस्तुत किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की उपस्थिति मे ही पारित किया गया है। इसके बाद अपीलांट द्वारा विभाजन नक्शा अनुसार भूमि की पैमाईश करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

किया, जिस पर आदेशानुसार हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 27.07.2016 को मौके पर मौतबिरान के रूबरू पैमाईश कर फर्द मौका तैयार की गई। इस प्रकार विभाजन की जानकारी अपीलांट को हो गई थी इसके बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उक्त विभाजन की जानकारी दिनांक 02.06.2017 को होने का सरासर गलत तथ्य प्रस्तुत किया है। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि अपीलांट न्यायालय के समक्ष साफ हाथों एवं स्वच्छ मानसिकता से नहीं आया है तथा गलत तथ्य प्रकट कर न्यायालय को गुमराह किया जा रहा हैं, ऐसे मे अपीलांट न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। लिहाजा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर अभिलेखीय तौर पर ही अपील मयाद बाहर है तथा विलम्ब का प्रस्तुत कारण गलत प्रकट किया है, साथ ही सहमति से कराये गये विभाजन के विरूद्ध अपील विचारण योग्य भी प्रतीत नही होती है। इस प्रकार अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर अधारित होने एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2013 को यथावत बहाल रखा जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)